



**LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY , UTTAR  
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR , LUCKNOW**  
**PERMIT TO BULD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-  
LUCKNOW**

PRINT DATE : 19/12/2019

APPLICATION 54806 FILE NO : 121/EE/M.CELL/2019  
WARD: ..... SCHEME : NonScheme-MapApproval  
PERMIT NO: 43132  
SITE OF GROUP HOUSING  
SECTOR : ..... PROPERTY 694, MUTAKKIPUR, IIM RD.  
NAME: ELDECO HOUSING & IND, LTD  
Address: CORPORATE CHAMNER, VIBHUTI KHAND, LKO

Sanction vide order dated 13/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of 12/12/2024 or expiry date of Lease deed whichever is earlier

Restriction If Required:

आवासीय के प्रयोग के लिए प्लान संमति  
प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य है।

Signature of Competent Authority (BHAWAN)  
Under the U.P

**: प्रतिबन्ध :**

1. परमिट संख्या-40385 दिनांक 16.08.2016 के द्वारा स्वीकृत किये गये टाउनशिप में लागू शर्तें/प्रतिबन्ध पूर्ववत लागू रहेंगे।
2. भू-स्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमिवाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. प्रस्तावित सभी ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों का आवंटन शासनादेश दिनांक 05.12.2013 एवं 24.10.2016 में इंगित प्राविधानानुसार किया जायेगा।
4. मौके पर नियमानुसार वृक्षारोपण कराना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. मौके पर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य है।
7. एन0बी0सी0 के प्राविधानों के अन्तर्गत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।
8. निर्माण अवधि में लेबर एक्ट तथा नेशनल एक्ट तथा नेशनल सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. मौके पर रेनवाटर हार्वैस्टिंग एवं सोलर वाटर हीटिंग प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है।
10. प्रस्तावित पार्किंग स्थल का उपयोग पार्किंग के रूप में ही करना होगा, अन्य उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
11. मौके पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कराना अनिवार्य है।
12. निर्माण पूर्ण करने के पश्चात प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, तदोपरान्त भवनों आवंटन आदि की अनुमति दी जायेगी।
13. अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रूल्स-2011 की अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
14. भू-स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गड्ढे न हों तथा उसमें जल भराव न हो, यदि ऐसा पाया जाता है, तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
15. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
16. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
17. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
18. स्थल के पूर्व स्वीकृत मानचित्र MAP20181016142921270 के प्रतिबन्ध/शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।



**LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH**  
**VIPIN KHAND GOMTI NAGAR, LUCKNOW**  
**PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA LUCKNOW**

PRINT DATE - 02/04/2019

FILE NO. R-45/AA/M.CELL/18

SCHEME : ELDECO RIGALIA, IIM ROAD

PROPERTY: KHASRA NO.-700, 701, 698,  
728 etc. MUTAKKIPUR, ALLU NAGAR  
DIGURIYA LUCKNOW

WARD :  
PERMIT NO. : MAP-20181016142921270

SITE OF : EWS/LIG (GROUP HOUSING)  
NAME : ELDECO HOUSING AND INDUSTRIES LTD.  
ADDRESS : ELDECO CORPORATE TOWER, VIBHUTI KHAND  
GOMTI NAGAR, LUCKNOW.

Sanction vide order dated 11/01/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 10/01/2024

Restriction if required : पृष्ठ भाग पर अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।

  
**Signature of Competent Authority (BHAWAN)**  
**Under the U.P.**

प्रतिबन्ध—

1. परमिट संख्या—40385 दि० 16.08.2016 के द्वारा स्वीकृत किये गये टाउनशिप में लागू शर्तों/प्रतिबन्ध पूर्ववत् लागू रहेंगे।
2. भू-स्वामित्व, चौहददी तथा भूमिवाद—विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. प्रस्तावित सभी ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का आवंटन शासनादेश दि० 05.12.2013 व 24.10.2016 में इंगित प्राविधानानुसार किया जायेगा।
4. मौके पर नियमानुसार वृक्षारोपण कराना अनिवार्य है।
5. भूकम्परोधी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल ड्राइंग व डिजायन सक्षम स्तर से वैट कराकर मानचित्र निर्गत करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि भविष्य में कोई देयता निकलती है तो मांगे जाने पर प्राधिकरण खाते में अविलम्ब जमा करना होगा।
7. मौके पर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य है।
8. एन०बी०सी० के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।
9. निर्माण अवधि में लेबर एक्ट तथा नेशनल एक्ट तथा नेशनल सेफटी काउंसिल के प्राविधानों का पालन करना होगा।
10. मौके पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वाटर हीटिंग प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है।
11. प्रस्तावित पार्किंग स्थल का उपयोग पार्किंग के रूप में ही करना होगा, अन्य उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
12. मौके पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कराना अनिवार्य है।
13. निर्माण पूर्ण करने के पश्चात प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है तदोपरान्त भवनों के आवंटन आदि की अनुमति दी जायेगी।
14. अपार्टमेंट एक्ट—2010 एवं रूल्स—2011 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
15. भू-स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गड्ढे न हों तथा उसमें जल—भराव न हो, यदि ऐसा पाया जाता है तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
16. स्माग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारो तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्री के पास या तो जल छिडकाव की व्यवस्था की जाये अथवा त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
17. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम—1973 की धारा—15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
18. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम—1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

*Primer*  
3/4/19